अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

भूहदबंदी वाद सं०- 07/1998
दीनानाथ शर्मा, आवेदक
बनाम
बिहार सरकार

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
15.09.2015	यह वाद दीनानाथ शर्मा वल्द फुनीलाल शर्मा सा०–पियनो डाकघर–अनवल थाना–कोपा जिला–सारण के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 25.08.98 से संबंधित हैं। आवेदक के द्वारा अपने आवेदन के साथ माननीय राजस्व पर्षद, बिहार पटना के द्वारा वाद सं० 15/96 सहित अन्य कई वाद में एक साथ पारित आदेश दिनांक 29.03.97 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद का सक्षिप्त इतिहास यह है कि आवेदक दीनानाथ शर्मा पिता स्व०–फुनीलाल शर्मा सा०–पियनो थाना–कोपा जिला–सारण के द्वारा बिहार भू हदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 22 के अन्तर्गत एक आवेदन दाखिल किया गया जो थाना सं० 200, खाता सं० 114, खेसरा सं० 2375, रकवा 0–18–0 एवं खाता सं० 41 खेसरा सं० 204, रकवा 0–7–5 से संबंधित था को सुनवाई के उपरांत इस न्यायालय के द्वारा 27.04.93 को अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद, समाहर्ता, सारण के आदेश के विरूद्ध विद्वान आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के न्यायालय में अपील दाखिल किया गया, जिसे सुनवाई के उपरांत दिनांक 23.01.96 को विद्वान आयुक्त के द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके विरोध में अपीलकर्ता के द्वारा माननीय राजस्व पर्षद, बिहार पटना में रिवीजन वाद सं० 15/96 दाखिल किया गया, जिसमें दिनांक 29.03.97 को रिवीजन कर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया गया, जिसकी प्रति संलग्न कर आवेदक के द्वारा आवेदन	

दाखिल किया गया है, जिसके आलोक में, यह वाद प्रारम्भ हुआ है।

प्रासंगिक भूमि पर आवेदक के दखल कब्जा की स्थिति जानने के लिए अंचल अधिकारी जलालपुर एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर से प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी जलालपुर के पत्रांक 5 मुख्य दिनांक 29.06.99 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रासंगिक भूखंडो की स्थल जॉच की गई एवं जॉचोपरांत पाया गया कि आवेदक दीनानाथ शर्मा एवं उनके भाईयों का विगत कई वर्षो से प्रासंगिक भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त जमीन खेती करने के काम में आता है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर छपरा के पत्रांक 559 दिनांक 21.12.06 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रासंगिक भूखंडो पर वादी दीनानाथ शर्मा का बहुत पूर्व से ही दखल कब्जा है। वर्तमान में इन खेसरो मे गेहूँ की खेती की गई है। इन खेसरो का वादी के द्वारा आपस में तीनों भाईयो में बॅटवारा भी कर लिया गया है। सभी सह हिस्सेदार अपने-अपने प्राप्त हिस्से के अनुरूप दखलकार है।

सुनवाई की तिथि 15.09.15 को आवेदक की हाजरी प्राप्त। आपत्तिकर्ता महंथ अनिल भगत की हाजरी प्राप्त। सुनवाई की गई। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि माननीय राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के द्वारा वाद सं0 15/96 सहित अन्य कई वाद में एक साथ पारित आदेश दिनांक 29.03.97 आवेदक के पक्ष में है, जिसके अनुसार आवेदक को प्रासंगिक भूखंडो का रैयत घोषित किया जाना है। प्रासंगिक जमीन पर आवेदक के दखल कब्जा से संबंधित अंचल अधिकारी, जलालपुर एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर छपरा से प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख पर है। अतः माननीय राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के द्वारा पारित आदेश के आलोक में आवेदक को प्रासंगिक भूखंडो का रैयत घोषित करने का अनुरोध किया गया।

आपत्तिकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय के द्वारा भू हदबंदी वाद सं0 01/75-76 सरकार बनाम महंथ विश्वामित्र भगत में पारित आदेश दिनांक 16.02.96 के द्वारा आपत्तिकर्ता के पक्ष में 60 एकड़ जमीन मुक्त किया गया था, जिसमें प्रासंगिक दोनों भूखंड शामिल था। इसके प्रकाशन की तिथि से सीमा अवधि के अन्दर आवेदन कर्ता के द्वारा उक्त प्रकाशन के विरूद्ध किसी प्रकार की आपति दाखिल नहीं

की गई। अतः आवेदनकर्ता का आवेदन खारिज करने योग्य है। प्रासंगिक भूमि पर आवेदक के दखल कब्जा संबंधित प्रतिवेदन भी सही नहीं है। सच्चाई यह है कि आवेदक मठ में कभी भी लोहाइ का काम नहीं करता था। मठ की भूमि हड़पने के लिए आवेदक के द्वारा गलत बयान आवेदन पत्र में दिया गया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, सारण, छपरा के द्वारा बताया गया कि माननीय राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के द्वारा वाद सं0 15/96 सहित अन्य कई वाद में एक साथ पारित आदेश दिनांक 29.03.97 आवेदक के पक्ष में है, जिसके अनुसार आवेदक को प्रासंगिक भूखंडो का रैयत घोषित किया जाना है। प्रासंगिक जमीन पर आवेदक के दखल कब्जा से संबंधित अंचल अधिकारी, जलालपुर एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर छपरा से प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख पर है। अतः माननीय राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के द्वारा पारित आदेश के आलोक में आवेदक को प्रासंगिक भूखंडो का रैयत घोषित करने के संबंध में आदेश पारित किया जा सकता है।

सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातो के परिसीलन के उपरांत मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि माननीय राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के द्वारा वाद सं0 15/96 सहित अन्य कई वाद में एक साथ पारित आदेश दिनांक 29.03.97 आवेदक के पक्ष में है, जिसके अनुसार आवेदक को प्रासंगिक भूखंडो का रैयत घोषित किया जाना है।

अंचल अधिकारी जलालपुर के पत्रांक 5 मुख्य दिनांक 29.06.99 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रासंगिक भूखंडो की स्थल जॉच की गई एवं जॉचोपरांत पाया गया कि आवेदक दीनानाथ शर्मा एवं उनके भाईयों का विगत कई वर्षो से प्रासंगिक भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त जमीन खेती करने के काम में आता है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर छपरा के पत्रांक 559 दिनांक 21.12.06 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रासंगिक भूखंडो पर वादी दीनानाथ शर्मा का बहुत पूर्व से ही दखल कब्जा है। वर्तमान में इन खेसरो मे गेहूँ की खेती की गई है। इन खेसरो का वादी के द्वारा आपस में तीनों भाईयो में बॅटवारा कर लिया गया है। सभी सह हिस्सेदार अपने-अपने प्राप्त हिस्से के अनुरूप दखलकार है।

माननीय राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के द्वारा पारित उक्त आदेश के

पश्चात आपत्तिकर्ता के द्वारा दर्ज आपत्ति का कोई औचित्य नहीं रह जाता हैं उन्हे माननीय राजस्व पर्षद, बिहार पटना के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था।

माननीय राजस्व पर्षद, बिहार पटना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.97, अंचल अधिकारी जलालपुर के पत्रांक 5 मुख्य दिनांक 29.06.99, एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर के पत्रांक 559 दिनांक 21.12.06, के आलोक में **आवेदक दीनानाथ शर्मा** वल्द ज्ञानीलाल शर्मा **सा0-पियनो पो0-अनवल थाना-कोपा जिला-सारण को थाना सं0 200, मौजा पियनो खाता सं0 114, खेसरा सं0 2375, रकवा 0-18-0 एवं खाता सं0 41 खेसरा सं0 204, रकवा 0-7-5 का रैयत घोषित किया जाता है।**

अपर समाहर्ता, सारण छपरा को निर्देश है कि उक्त आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करे।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

24/9/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

24/9/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 4835 /न्या0, दिनांक 24.9.15

प्रतिलिपिः-अपर समाहर्ता, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारा, एन0 आई0 सी0, सारण, छपरा का उक्त आदेश इस जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।

24/9/15